

# Form No. III

सम  
ए।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

खंभारराम बनाम अचलीबाई वगैरे

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 812 सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
------------	----------------------------------	---

28/12/2015

वकील वादी उपस्थिति ।  
वकील वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा .....188..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर हो । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/12/15 को पेश हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मारवाड़ जंक्शन

17/12/2015 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उप.  
प्रतिवादी संख्या 1-2-3 की छोर वकील श्री अजीतसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा एवं जबाब दावा पत्र को उपर कलेम पेश किया जो शा. फा. हो। प्रति दिनांक 17/12/15 पत्रावली वास्ते जबाब प्रति. सं. 4 एवं जबाब का कलेम आग्रह दिनांक 22/12/2015 को पेश हो।

  
Sooms

22/12/15 पत्रावली पेश हुई।


पत्रावली वास्ते जबाब प्रति. सं. 4 एवं जबाब का कलेम आग्रह दिनांक 5/1/16 को पेश हो।

  
SDOMS


5/1/16 पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली वास्ते जबाब प्रतिवादी सं. 4 आग्रह दिनांक 20/1/2016 को पेश हो।

20/1 पत्रावली पेश हुई  
आज पीछारीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/अग्रण पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है  
अतः पत्रावली आदन्दा दिनांक 20/1/16 को पेश हो।

  
Sooms

  
रिडर



तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/7/19

पतावली आज पेश हुई।  
वकील वारी के हलगत पुकारण की पेशी के  
दौरान अनुकूल वकील वारी को न्यायालय के  
दौरान आवाजे लगाई गई किंतु वारी अवका  
वकील वारी अनुकूल।  
वारी अवका वकील वारी को दोपहर 3 बजे  
पुनः आवाजे लगाई गई किंतु कोई उपस्थित  
नहीं।  
अवका अंत में वारी पक्ष को शाम 5 बजे  
आवाज लगाई गई किंतु वारी पक्ष की  
तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।  
वकील वारी हलगत पुकारण में उपस्थित रहा  
बाइ-2 आवाजे लगाने के बावजूद कोई आचरणा  
अवका वारी पक्ष उपस्थित नहीं जल हलगत  
पुकारण को वारी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण  
अदालत पेशी अदालत दायरी में खारीज किया  
जाता है। मिशन केवल शुमार होकर नंबर के  
कम हो।  
निर्णय वही - न्यायालय में आज दिनांक 22/7/19  
को सुनाया गया।

लक्ष्मी लक्ष्मी  
4/10/19

